

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स अमित कुमार, प्रो० श्री अमित कुमार, पिता श्री उदय शंकर यादव, मुहल्ला - पन्डा सराय, थाना - लहेरिया सराय, जिला - दरभंगा द्वारा बागमती नदी के मौजा - पौराम, मन्नुपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं० - 01, ब्लॉक - 01 एवं 02 (क्षेत्रफल - 11.0 हेक्टेयर) प्रखण्ड - हायाघाट, जिला - दरभंगा में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक - सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं० - एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 यथा संशोधित के आलोक में दिनांक 24.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, हायाघाट, जिला - दरभंगा के प्रांगण में लोक-सुनवाई की गयी।

यह लोक-सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2333/2023, दिनांक 24.03.2023 के आलोक में श्री राजेश झा, अपर समाहर्ता, दरभंगा की अध्यक्षता में की गयी।
उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा "प्रभात खबर" एवं "हिन्दुस्तान" के माध्यम से दिनांक 22.07.2023 को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन.ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है, जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण सलाहकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं, जिसका अनुपालन होना चाहिए। नियमों का पालन नहीं होने पर, इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। इनके द्वारा लोगों को अवगत कराया गया कि बालू परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पर्यावरण सलाहकार द्वारा दी जायगी। तत्पश्चात् आप लोगों के द्वारा सुझाव दिया जायगा, जिसे लिपिवद्ध करते हुए अनुशंसा की जायगी।

निदेशानुसार परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मो० अमीन अख्तर ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा बागमती नदी के मौजा-पौराम, मन्नुपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं०-01, ब्लॉक-01 एवं 02 (क्षेत्रफल-11.0 हेक्टेयर) प्रखण्ड-हायाघाट, जिला-दरभंगा में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अमित कुमार, पिता श्री उदय शंकर यादव को इस

A

खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं0-01, ब्लॉक-01 एवं 02 (क्षेत्रफल-11.0 हेक्टेयर) से प्रतिवर्ष 110220 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹71.4 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालू घाट मौजा-पौराम, मन्नुपुर खररा, क्लस्टर/यूनिट नं0-01, ब्लॉक-01 एवं 02 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा, जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूलकणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर परिवहन किया जायगा। खनिज से रिसने वाला जल से मार्गों को जलमग्न नहीं होने दिया जायगा। खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।

2

11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


| क्रमांक | प्रतिक्रिया/सुझाव | प्रस्तावक के जवाब |
|---------|---|--|
| 1. | श्री अमरेश यादव, दरभंगा- इनके द्वारा पुछा गया कि बालू खनन एवं परिवहन के क्रम में उड़ने वाले धूलकण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन उपाय किये जायगे। | पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि बालू का लोडिंग निर्धारित सीमा के अनुसार होगी। बालू को ढक कर परिवहन किया जायगा, जिससे गाड़ी के पीछे चलने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथ ही सड़क पर बालू भी नहीं गिरे। बालू लोडिंग के पश्चात् नमी करने के बाद ही परिवहन किया जायगा, जिससे हवा के साथ वातावरण में नहीं फैले। |
| 2. | श्री उदय शंकर यादव, पंडा सराय, लहेरियासराय- इनके द्वारा पुछा गया कि बालू खनन संबंधी परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा अथवा नहीं ? | पर्यावरण सलाहकार के द्वारा बताया गया कि बालू खनन एवं इसके परिवहन में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। स्थानीय ट्रैक्टर, ट्रक एवं अन्य वाहन का उपयोग किया जायेगा। परियोजना के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। |
| 3. | मो0 रईस अहमद सिद्दकी, ग्राम - चंदनपट्टी - इनके द्वारा पुछा गया कि इस परियोजना में कहाँ-कहाँ पर पेड़ लगाये जायगे। पेड़ों की रक्षा एवं विकास करने का जिम्मेवारी किनका होगा। | सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पहुँच पथ के दोनो किनारे, नदी के किनारे एवं उपलब्ध सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण की जायेगी। पेड़ों को गेबियन द्वारा घेरकर जानवरों से रक्षा किया जायगा। पेड़ों की विकास एवं देख-रेख करने की जिम्मेवारी बालू परियोजना के प्रबंधक की होगी। |
| 4. | श्री विकास कुमार सिंह, हायाघाट-भाड़ी गाड़ी एवं ओभर लोडिंग के कारण सड़क टुट जाती है, जिसका मरम्मत किनके द्वारा किया जायेगा। | सलाहकार द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि बालू का लोडिंग गाड़ी के निर्धारित क्षमता के अनुसार की जायगी। पहुँच पथ का मरम्मत एवं देख-रेख खनन पट्टाधारक द्वारा की जायगी। |
| 5. | श्री बेचन यादव, पौराम-खेतीहर जमीन में बालू रहने पर खनन करने का अधिकार किसका होगा एवं किस प्रकार किया | इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रैयती जमीन में बालू रहने पर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार |

| | | |
|----|---|---|
| | जायेगा। | उपलब्ध बालू का आकलन कराया जायगा। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा बालू का खनन किया जायेगा। |
| 6. | श्री विकास चौहान, गड़हरी एवं श्री देवेन्द्र प्रसाद, नवका टोल, अशोक पेपर मिल-वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किया जायगा। | पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि कच्ची सड़को पर आवश्यकता अनुसार दिन में नियमित रूप से 3/4 बार जल छिड़काव कराया जायगा। सड़क के दोनो किनारे वृक्षारोपण कर विकास की जायगी। बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जायगा। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्राप्त करने वाले वाहनों का प्रयोग बालू ढुलाई कार्य में लगाया जायगा। |
| 7. | मो0 आसिफ अली, ग्राम-रसूलपुर-ग्रामीण क्षेत्र में तेज गति से गाड़ी का परिचालन नहीं होना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए आवासीय क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर का व्यवस्था होना चाहिए। | बालू ढुलाई का कार्य घनी आबादी के बीच से नहीं की जायगी। इसके लिए वैकल्पिक रास्ता का प्रयोग किया जायगा। विशेष परिस्थिति में आबादी के बीच से गाड़ी का संचालन करने पर गति सीमा निर्धारित होगी। |

बालू खनन पट्टाधारक श्री अमित कुमार द्वारा लोगों का आश्वासन दिया गया कि लोक-सुनवाई के क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये नियमों एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।










लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट से खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया एवं सहमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
 मुजफ्फरपुर


 अपर समाहर्ता
 दरभंगा

उपस्थिति सूची

मेसर्स अमित कुमार, प्रो० श्री अमित कुमार, मुहल्ला-पन्डा सराय, थाना-लहेरिया सराय, दरभंगा द्वारा बागमती नदी के मौजा - पौराम, मनुपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर / यूनिट नं०-01, ब्लॉक-01 एवं 02 (क्षेत्रफल-11.0 हेक्टेयर) प्रखण्ड-हायाघाट, जिला-दरभंगा में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार, हायाघाट, जिला- दरभंगा में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

| क्र०सं० | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---------|-------------------|---|--|
| 1. | अपर सहायक | दरभंगा |  24.8.23. |
| 2. | एस. एन. बाबु | क्षेत्रीय पदां, किराट राज्य प्रवक्ता विभाग, पटना |  24.8.2023 |
| 3. | श्रिया द्वीविका | श्वनिज विकास प्रशासक पहालिकारी, दरभंगा। |  24.08.23. |
| 4. | निवेदिता | प्रखण्ड विकास प्रशासक हायाघाट |  24.08.23 |
| 5. | Amin Akhtan | Consultant Rion Enviro Pvt Ltd |  24/8/23 |
| 6. | विक्रम कुमार सिंह | प्रमुख प्रतिनिधि हायाघाट |  24/08/23 |
| 7. | मनोज कुमार सिंह | सुपरवाइजर (नगर पंचायत) हायाघाट |  मनोज कुमार सिंह |
| 8. | अर्चना कुमार | ग्राम सचिव/हायाघाट विभाग दरभंगा |  अर्चना कुमार |
| 9. | सुनील कुमार | हायाघाट |  सुनील कुमार |

| | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 10. | Deepak Kumar | AKRAHA, SIRMA, HAYALHATI. DARBHANGA | Deepak Kumar |
| 11. | अरुण कुमार यादव | अरुणोदय हाथियाई मिना दरभंगा | अरुणोदय यादव |
| 12. | जिरीन्द्र मोहन यादव | जयश्री चंभाहाट मिना दरभंगा | जिरीन्द्र मोहन यादव |
| 13. | विपिन यादव | परिम पौषागाँव, मिना दरभंगा | विपिन यादव |
| 14. | Bikash Choudhary | मौजा बंसी दरभंगा | Bikash Choudhary |
| 15. | Ram Sakal Kumar | AKARAH (South) | Ram Sakal Kumar |
| 16. | Ram Pravech Yadav | AKRAHA | Ram Pravech Yadav |
| 17. | निरंजन कुमार यादव | परिम | निरंजन कुमार यादव |
| 18. | Nitesh Mishra | Dr manager Rishi Enim Pvt Ltd | ① Nitesh |
| 19. | Anil Kumar | Pandubarai | Anil |
| 20. | रमेश कुमार सिद्धी | चण्डा पट्टी | Ramesh kiddle |
| 21. | वैष्णव यादव | परिम | वैष्णव |
| 22. | मोहन यादव | रसलपुर | Moham |
| 23. | प्रमोद यादव | मिनाहाट | प्रमोद यादव |
| 24. | मुरेश कुमार यादव | परिम | Murash Kumar |

| | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 25. | बदरगु शंकर जादव | Pandasanai kisan Dabhanga | 24-8-2023 |
| 26. | शंकर यादव | Palhabathia . | अशोक यादव 24-8-2023 |
| 27. | कवलू पाशवान | धनीपूर | कवलू पाशवान |
| 28. | मनीष पाशवान | धनीपूर | मनीष पाशवान |
| 29. | निरज पाशवान | धनीपूर | निरज पाशवान |
| 30. | जुलैकार अमी | फां बिलासपुर | जुलैकार अमी |
| 31. | उप भुं पाषंड मो० उक्कर | पवाचिम बिलासपुर | अमर |
| 32. | लालबाबु भक्क | खसौती | लालबाबु भक्क |
| 33. | पपु कुमार सखी | पौराम | पपु कुमार सखी |
| 34. | मनीष कुमार गदव | पौराम | मनीष कुमार गदव |
| 35. | अजुन कुमार ग | पौराम | अजुन कुमार |
| 36. | चंनन खड्गी | पौराम | |
| 37. | राजा कुं प्रजापति | खुलुडा | |
| 38. | नितीश कुमार | पौराम | |
| 39. | पंकज कुमार | पौराम | |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|----------------|
| 40. | राम कुमार सठनी | जगदीशपुर | राम कुमार सठनी |
| 41. | विश्वरूप कृष्ण सिंह | मकमुदपुर | D. K. Singh |
| 42. | श्री राज ठाकुर | मकमुदपुर | श्री राज ठाकुर |
| 43. | आशिष अली | वसुधपुर अमालपुर 6/3/2012 | A. A. A. |
| 44. | अमरेश माल | दरगाह - महाराजपुर | अमरेश |
| 45. | Anurag Kumar | Kanupur | Anurag |
| 46. | विक-रं माल | अमालपुर | विक-रं |
| 47. | Suman Yadav | Bohri | Suman |
| 48. | _____ X Anurag 21/8/2012 | | |
| 49. | | | |
| 50. | | | |
| 51. | | | |
| 52. | | | |
| 53. | | | |
| 54. | | | |